न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 17/2024–25**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

अतिस कुमार साहु –बनाम– सत्यम रौतिया वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, **चैनपुर अंचल** के अप्राथमिकी काण्ड स०– **20/2025** एवं **जारी थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0– **01/2025** दिनांक– **29.05.2025** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष **प्रथम पक्ष** अतिस कुमार साहु, पिता गोबिन्द साहु, सा० प्रेमनगर चैनपुर, थाना चैनपुर, जिला गुमला। **द्वितीय पक्ष** 1. सत्यम रौतिया, पिता– हिरालाल रौतिया उर्फ बुतरू 2. कमलेश रौतिया, पिता हिरालाल, उर्फ बुतरू 3. शिवम रौतिया, पिता हिरालाल रौतिया उर्फ बुतरू रौतिया 4. हिरालाल उर्फ बुतरू, पिता स्व० मलन रौतिया, चारो सा० जारी, जिला– गुमला 5. विकाश भगत उर्फ सुरेन्द्र पे० सुधराम भगत, सा० हुटार, थाना जारी, जिला– गुमला 6. राजु रौतिया, पे० जितु रौतिया, सा० बसाईटोली, थाना चैनपुर, जिला– गुमला के बीच आपसी विवाद के कारण उत्पन्न विधि–व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण की गई है परन्तु द्वितीय पक्षकारों द्वारा अपने पक्ष में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण करने में असफल रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु Bond Down भी किया गया है। चूंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा– 126 के तहत विर्निदिष्ट समयावधि पूर्ण होने के कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि–व्यवस्था बनाए रखेंगे।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशांधित

05.12.25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

05.12.25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2025.12.09 21:30:03 +05:30
Location: 172.27.60.77

Scanned with CamScanner